

प्रशासन गावों के सम अभियान 2021

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू बैच.....

क्रमांक: राजस्व/2022/


दिनांक: / /2022

07/2022

आदेश

आवेदक श्री मूलचन्द गजानन्द पुत्र सुखदेव ने तहसील कोटखावदा में ग्राम डीकारिया गूजरात स्थित आराजी रकबा के संबंध में जमाबन्दी सम्वत् 2075-2078 के खाता संख्या 62 पर अंकित प्रविष्टि दुरुस्त करने हेतु आवेदन पेश किया। पटवारी हल्का द्वारा जाँच की जाकर ग्राम डीकारिया गूजरात की जमाबन्दी के खाता संख्या 62 की प्रविष्टि के स्थान पर मूलचन्द गजानन्द पुत्र सुखदेव किया जाना उचित बताया है। तहसीलदार कोटखावदा द्वारा भी अपनी रिपोर्ट के अनुसार जमाबन्दी में अंकित प्रविष्टि दुरुस्त करने की अभिशंभा की है।


अतः राजस्थान गू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत पटवारी हल्का डीकारिया गूजरात की रिपोर्ट व तहसीलदार कोटखावदा की अभिशंभा के आधार पर प्रार्थी श्री मूलचन्द गजानन्द पुत्र सुखदेव जाति गुर्जर निवासी डीकारिया गूजरात तहसील कोटखावदा के आवेदन पर जमाबन्दी सम्वत् 2075-2078 के खाता संख्या 62 में अंकित प्रविष्टि मूलचन्द गजानन्द पुत्र सुखदेव के स्थान पर मूलचन्द गजानन्द पुत्र सुखदेव किए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे।

  
उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी  
चाकसू (जयपुर)  
दिनांक: 05/ /2022

क्रमांक: राजस्व/2022/228

प्रतिलिपि निम्न को पालनाथ प्रेषित है-

- 1. तहसीलदार कोटखावदा
- 2. पटवारी हल्का

  
उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी  
चाकसू (जयपुर)